भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3089

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

वाहनों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन

3089. डॉ. संबित पात्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों के समन्वय से वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहनों द्वारा सांविधिक यातायात नियमों के अनुपालन के लिए कोई निगरानी तंत्र विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहनों द्वारा सांविधिक यातायात नियमों के अनुपालन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि वाहन पोर्टल पर पंजीकृत कुछ वाहन सांविधिक नियमों के अनुपालन मानकों को पूरा नहीं करते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे वाहनों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पंजीकृत वाहनों द्वारा सांविधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) केंद्र सरकार ने भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 35 के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 अधिनियमित किया है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (सीएमवीआर) भी बनाई है। तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भूमिका मुख्यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लिए सांविधिक ढांचा तैयार करने तक ही सीमित है, जबकि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

इसके सांविधिक अधिदेश के अनुपालन में मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को देश भर में समान रूप से लागू करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित और कार्यान्वित किए हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 62ख के तहत राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर और इस अधिनियम की धारा 25क के तहत राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर को क्रमशः वाहन और सारथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, संबद्ध सेवाओं और संबंधित सांविधिक अभिलेखों

(रिकॉर्ड) को प्रबंधित करने के लिए एक समान डिजिटल अवसंरचना प्रदान करते हैं। उपर्युक्त पोर्टलों को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनकी विशिष्ट संचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट रूप से तैयार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम, 1988 का अध्याय XIII यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों, दंडों और प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें यातायात नियमों का अनुपालन ना करने का अपराध भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136क राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, सड़कों और शहरी क्षेत्रों, जिनकी जनसंख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है, में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान करती है। इसके अनुपालन में, सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन से संबंधित सीएमवीआर के नियम 167क को तैयार किया गया है। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए दिनांक 28.10.2025 का मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

इसके अलावा, नियम 167, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक चालानों के जारी करने, उन पर आपत्ति जताने और भुगतान के लिए एक व्यापक समान प्रक्रिया निर्धारित करता है। उक्त नियम में यह अधिदेशित है कि जारी किया गया प्रत्येक चालान निर्दिष्ट पोर्टल (ई-चालान पोर्टल) पर अपलोड किया जाएगा और पंजीकृत मालिक या ऐसे अन्य व्यक्ति को तामील किया जाएगा, जो उत्तरदायी हो। नियम 167 यह भी प्रावधान करता है कि जहां कोई व्यक्ति भुगतान के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने या चालान को चुनौती देने में विफल रहता है, वहां कर के भुगतान को छोड़कर परिवहन से संबंधित सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी, जब तक कि बकाया चालान का निपटान नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता है। चालान के न्यायनिर्णयन सहित उपरोक्त प्रक्रिया का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके नामित अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53, पंजीकरण प्राधिकारी को ऐसे किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित करने का अधिकार देती है, जो इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहता है। यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन लगातार कम से कम छह माह तक जारी रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 54 के तहत पंजीकरण रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त है।

24.07.2026 तक दिनांक 05.03.2026 को जारी वाहन वर्गीकरण ढांचे (**अनुलग्नक-I**) के अनुसार सक्रिय अनुपालन और गैर-अनुपालन वाहनों की संख्या (01.04.2026 से प्रभावी), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

"वाहनों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन" के संबंध में डॉ. संबित पात्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3089 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वाहन वर्गीकरण ढांचा

वाहन डेटाबेस (VAHAN) में वाहन वर्गीकरण

जारीकर्ता: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)

विषय: वाहन डेटाबेस (VAHAN) में वाहन वर्गीकरण

1. परिचय:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) 'वाहन' (VAHAN) प्रणाली के माध्यम से वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा का रखरखाव करता है। 'वाहन' देश भर में वाहन पंजीकरण डेटा के एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें वर्तमान में चालीस करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहनों के रिकॉर्ड शामिल हैं। आरसी (RC) डेटा के अलावा, 'वाहन' कई संबंधित प्रणालियों से जानकारी एकीकृत करता है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC), ई-चालान, बीमा (Insurance), और वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (VLTS) आदि शामिल हैं, जिससे यह विभिन्न परिवहन संबंधी सेवाओं और नियामक कार्यों को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह एकीकृत डेटा अवसंरचना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 62B और 63 के सांविधिक अधिदेश के तहत बनाए रखी जाती है। डेटा की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए वाहन की स्थिति–जैसे कि सक्रिय (Active) या आर्काइव्ड (Archived)–का सटीक वर्गीकरण और प्रबंधन आवश्यक है। एक विश्वसनीय और सुव्यवस्थित वाहन डेटाबेस प्रभावी नीति कार्यान्वयन का समर्थन करता है, सड़क सुरक्षा प्रवर्तन को मजबूत करता है, और सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन निकायों और अन्य हितधारकों के बीच साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

2. वाहन स्थिति वर्गीकरण में चुनौतियाँ:

'वाहन' डेटाबेस को वर्तमान में वाहनों की स्थिति को सटीक रूप से वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन बिना नवीनीकरण के दो साल से अधिक समय से अपनी फिटनेस वैधता पार कर चुके हैं, फिर भी कई को गलत तरीके से 'सक्रिय' (Active) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह परिचालन वाले वाहनों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है और सड़कों पर कानूनी रूप से चलने वाले वाहनों की वास्तविक तस्वीर को विकृत करता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान परिभाषाओं और वर्गीकरण मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण डेटा में विसंगतियां पैदा होती हैं। ये अशुद्धियाँ प्रवर्तन प्रयासों में बाधा डालती हैं, अनुपालन निगरानी से

समझौता करती हैं, और संसाधन आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास और परिवहन नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। प्रभावी शासन का समर्थन करने के लिए, इन मुद्दों का समाधान करना और विश्वसनीय, डेटा-संचालित नीति निर्माण को सक्षम करना आवश्यक है।

मुख्य प्रभावों में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय स्तर के वाहन स्थिति डेटा का भ्रामक होना
- प्रवर्तन और अनुपालन निगरानी का कमजोर होना
- परिवहन योजना और संसाधन आवंटन का विकृत होना
- अनुपालन और निगरानी के लिए अवास्तविक लक्ष्य बनना
- प्रभावी, साक्ष्य-आधारित नीतियां विकसित करने में चुनौतियां आना

3. वाहन वर्गीकरण के उद्देश्य:

'वाहन' डेटाबेस में वाहनों के वर्गीकरण के तंत्र का उद्देश्य है:

1. पंजीकरण वैधता, फिटनेस प्रमाणन स्थिति, पीयूसीसी स्थिति (यदि लागू हो), बीमा स्थिति और मौजूदा डेटाबेस स्थिति फ़्लैग जैसे प्रमुख मापदंडों के आधार पर वाहनों को सक्रिय (Active) या अस्थायी आर्काइव्ड (Temporary Archived) या स्थायी आर्काइव्ड (Permanent Archived) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट और समान मानदंड स्थापित करना। यह संपूर्ण 'वाहन' प्रणाली में मानकीकरण और निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
2. सभी डैशबोर्ड, रिपोर्ट और आधिकारिक रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले वाहन स्थिति डेटा में निरंतरता और सटीकता सुनिश्चित करना, जिससे परिवहन योजना और निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय जानकारी मिल सके।
3. आर्काइव्ड वाहनों को स्पष्ट रूप से फ़्लैग करके केंद्रित और कुशल निगरानी सक्षम करना, जिससे सक्रिय वाहन रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिले।
4. पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और पीयूसीसी स्थिति अपडेट से मुख्य रूप से जुड़े निष्क्रियता की अवधि और कारणों के आधार पर शर्तें निर्धारित करके आर्काइव्ड वाहनों के लिए पुनर्सक्रियन (Reactivation) प्रक्रिया को सुगम बनाना।
5. डेटा की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सटीक वाहन स्थिति डेटा को नियमित रूप से अपडेट और बनाए रखने के तंत्र प्रदान करना।
6. एक भरोसेमंद और अद्यतित वाहन डेटाबेस के माध्यम से मजबूत शासन, बुनियादी ढांचा योजना और साक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय परिवहन नीति निर्णयों का समर्थन करना।
7. वाहन डेटा की सटीकता और पूर्णता में सुधार करके देश भर में 100% अनुपालन सक्रियण की दिशा में आगे बढ़ना, जिससे अंततः परिवहन प्रबंधन और नीति परिणामों में सुधार हो सके।

4. मौजूदा नियामक ढांचा:

वाहन पंजीकरण:

मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 41(7) के तहत, परिवहन वाहनों के अलावा अन्य मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है। इस अवधि के बाद, निर्धारित शर्तों के साथ वाहन के अनुपालन के अधीन, पंजीकरण को एक बार में पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। परिवहन वाहनों के मामले में, पंजीकरण की वैधता फिटनेस के प्रमाणपत्र से जुड़ी होती है, और नवीनीकरण को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41(8) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए।

धारा 39 के तहत वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाना या उसका उपयोग करने की अनुमति देना प्रतिबंधित है, और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के अनुसार, ऐसा कृत्य कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

वाहन फिटनेस:

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, प्रत्येक परिवहन वाहन के पास सड़क पर चलने योग्य (Roadworthy) माने जाने और पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए पात्र होने के लिए एक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। एक निर्धारित प्राधिकारी या एक अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि वाहन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सभी सुरक्षा और यांत्रिक मानकों का अनुपालन करता है।

इसके अतिरिक्त, परिवहन वाहन के अलावा अन्य मोटर वाहन को पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद, धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा और नियम 52 के उप-नियम (2) के तहत उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण होने तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। जबकि, परिवहन वाहनों के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता के सह-समान (Co-terminus) होगी।

अधिनियम की धारा 192 यह प्रावधान करती है कि धारा 56 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन का उपयोग धारा 39 (पंजीकरण की आवश्यकता) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और इसे उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसा कि धारा 192 की उप-धारा (1) में प्रदान किया गया है।

पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र):

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के अनुसार केंद्र सरकार के पास मोटर वाहनों के निर्माण, उपकरण और रखरखाव को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की शक्ति है, जिसमें वायु और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित नियम भी शामिल हैं। इसमें धुएं, वाष्प और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (CMVR) के नियम 115

का कानूनी आधार बनता है, जो वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य उत्सर्जन सीमा निर्दिष्ट करता है और अनुपालन के लिए समय-समय पर परीक्षण को अनिवार्य बनाता है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 ("CMVR") का नियम 116(2) यह अनिवार्य करता है कि यदि चालक या प्रभारी व्यक्ति उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए वाहन जमा करने में विफल रहता है या यदि वाहन सात (07) दिनों के भीतर नियम 115 के उप-नियम (2) का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 190 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण प्राधिकारी वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र और किसी भी दिए गए परमिट को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि एक वैध "प्रदूषण नियंत्रण" (PUC) प्रमाणपत्र जनरेट नहीं हो जाता।

इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित उल्लंघनों के लिए दंड आकर्षित होते हैं, जिससे उत्सर्जन मानदंडों को लागू करना और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित होता है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (तीसरे पक्ष का बीमा):

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वैध बीमा पॉलिसी के बिना मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा, न ही उपयोग करने की अनुमति देगा जो तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ कवरेज प्रदान करती हो। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली मृत्यु, शारीरिक चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा उपलब्ध हो।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 से 157 मोटर वाहन बीमा से संबंधित विस्तृत प्रावधानों और विशिष्ट आवश्यकताओं को रेखांकित करती हैं, जिसमें पॉलिसी कवरेज, बीमाकर्ता के दायित्व और प्रक्रियात्मक पहलू शामिल हैं।

इस अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहने पर अधिनियम की धारा 196 के तहत निर्धारित दंड आकर्षित होंगे।

वाहन दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिदेश

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 158 के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्दी में पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इनमें बीमा प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) यदि लागू हो, और परिवहन वाहनों के मामले में, फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट शामिल हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन आवश्यक सुरक्षा, पर्यावरणीय और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

5. वाहन वर्गीकरण संरचना:

'वाहन' डेटाबेस में वर्तमान वाहन वर्गीकरण प्रशासनिक पंजीकरण फ़्लैग्स पर आधारित है। हालांकि ये फ़्लैग्स वाहन की कानूनी या प्रक्रियात्मक स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन ये उसकी वास्तविक परिचालन स्थिति को नहीं दर्शाते हैं–कि वाहन वास्तव में सक्रिय और सड़क पर चलने योग्य है, अस्थायी रूप से निष्क्रिय है, या स्थायी रूप से निष्क्रिय है। इसके परिणामस्वरूप डेटा में विसंगतियां पैदा होती हैं, जहां गैर-परिचालन वाहनों को अभी भी "सक्रिय" (Active) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, जिससे उपयोग में माने जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। इस डेटा की विश्वसनीयता और उपयोगिता में सुधार के लिए, एक संशोधित वर्गीकरण ढांचे का प्रस्ताव है।

5.1. 'वाहन' में मौजूदा वर्गीकरण

वाहनों को वर्तमान में विभिन्न पंजीकरण फ़्लैग्स के तहत दर्ज किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग प्रशासनिक कार्रवाई या स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, ये फ़्लैग्स वाहन की वास्तविक परिचालन स्थिति का एक समेकित दृश्य प्रदान नहीं करते हैं, जिससे रिपोर्टिंग और नीति योजना की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

'वाहन' (VAHAN) में वर्तमान वाहन संबंधी फ़्लैग्स:

- सक्रिय (Active)
- एनओसी जारी (NOC Issued)
- आरसी रद्द (RC Cancelled)
- आरसी समर्पित (RC Surrendered)
- आरसी निलंबित (RC Suspended)
- जब्त नीलामी वाहन (Confiscated Auction Vehicle)
- वाहन गैर-पंजीकृत (Vehicle Deregistered)
- स्क्रैपिंग से संबंधित सभी फ़्लैग्स (All flags related to Scrapping)

ये फ़्लैग्स वाहन की स्थिति के आधार पर सिस्टम जनरेटेड होते हैं और प्रत्येक वाहन को एक अद्वितीय फ़्लैग सौंपा जाता है। ये फ़्लैग्स प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन यह संकेत नहीं देते हैं कि कोई वाहन सड़कों पर सक्रिय रूप से चल रहा है, निष्क्रिय है, या स्थायी रूप से सेवा से बाहर है।

(1) इस श्रेणी में शामिल फ़्लैग्स: (1) स्क्रैपिंग के लिए जमा किया गया वाहन, (2) वाहन स्क्रैप कर दिया गया पर आरसी रद्द नहीं हुई। (आंतरिक चर्चाओं के अनुसार, इन फ़्लैग्स को मौजूदा वाहन स्क्रैपिंग फ़्लैग्स के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है। फ़्लैग "स्क्रैप किया जाना है" को "स्क्रैप किए जाने वाले वाहन" के साथ विलय कर दिया गया है, और फ़्लैग "वाहन स्क्रैप आरसी रद्द" को "आरसी रद्द" के साथ विलय कर दिया गया है)

5.2. प्रस्तावित वर्गीकरण ढांचा

मौजूदा सीमाओं को संबोधित करने के लिए, नीति एक उच्च-स्तरीय वाहन वर्गीकरण ढांचा पेश करती है जो मौजूदा फ़्लैग्स के ऊपर काम करता है। यह ढांचा वाहनों को उनकी परिचालन स्थिति के आधार पर चार अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करता है –

1. स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)
2. अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
3. सक्रिय - गैर-अनुपालन (Active - non-compliant)
4. सक्रिय - अनुपालन (Active - compliant)

यह संरचना मौजूदा फ़्लैग सिस्टम को बदले या हटाए बिना डेटा व्याख्या और निर्णय लेने को बढ़ाती है।

वर्गीकरण विवरण पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और पीयूसीसी के अनुसार नीचे मैट्रिक्स में रेखांकित किया गया है।

क्र.सं.	**आरसी फ़्लैग (RC Flag)**	**फिटनेस (Fitness)**	**बीमा (Insurance)**	**पीयूसीसी (PUCC)**	**श्रेणी (Category)**
1	स्क्रैपिंग से संबंधित सभी फ़्लैग्स	वैध/अवैध	वैध/अवैध	वैध/अवैध	स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)
2	आरसी रद्द (RC Cancelled)	वैध/अवैध	वैध/अवैध	वैध/अवैध	स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)
3.1	आरसी फ़्लैग: वाहन गैर-पंजीकृत (Vehicle Deregistered)	वैध/अवैध	वैध/अवैध	वैध/अवैध	अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
3.2	आरसी फ़्लैग: आरसी समर्पित (गैर-परिवहन)	वैध/अवैध	वैध/अवैध	वैध/अवैध	स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)
3.3	आरसी फ़्लैग: आरसी समर्पित (परिवहन)	वैध/अवैध	वैध/अवैध	वैध/अवैध	अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)

गैर-परिवहन वाहन (Non-Transport Vehicles)

क्र.सं.	आरसी फ़्लैग (RC Flag)	बीमा (Insurance)	पीयूसीसी (PUCC)	श्रेणी (Category)
4	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	वैध	अवैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
5	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	अवैध	वैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
6	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	अवैध	अवैध	नीचे परिभाषित उपश्रेणियाँ
6.1	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन: आयु (0-15 वर्ष)	*यदि दोनों 2 वर्ष से कम समय से अवैध हैं*		सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
		अन्यथा यदि कोई भी 2 से 3 वर्ष से अवैध है		अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
		अन्यथा यदि कोई भी 3 वर्ष से अधिक समय से अवैध है		स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)
6.2	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन: आयु (15-20 वर्ष)	*यदि दोनों 2 वर्ष से कम समय से अवैध हैं*		अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
		अन्यथा यदि कोई भी 2 वर्ष से अधिक समय से अवैध है		स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)

6.3	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन: आयु (>20 वर्ष)	अवैध	अवैध	अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
7	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	वैध	वैध	सक्रिय - अनुपालन (Active - Compliant)

परिवहन वाहन (Transport Vehicles)

क्र.सं.	**आरसी फ़्लैग (RC Flag)**	**फिटनेस (Fitness)**	**बीमा (Insurance)**	**पीयूसीसी (PUCC)**	**श्रेणी (Category)**
8	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	2 वर्ष से कम समय से अवैध	वैध	वैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
			वैध	अवैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
			अवैध	वैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
			अवैध	अवैध	अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
क्र.सं.	**आरसी फ़्लैग (RC Flag)**	**फिटनेस (Fitness)**	**बीमा (Insurance)**	**पीयूसीसी (PUCC)**	**श्रेणी (Category)**
9	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	2 वर्ष से अधिक समय से अवैध	वैध	वैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
			वैध	अवैध	सक्रिय गैर-अनुपालन

					(Active Non-Compliant)
			अवैध	वैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
			अवैध	अवैध	अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
10	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	वैध	वैध	अवैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
11	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	वैध	अवैध	वैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
		वैध	अवैध	अवैध	सक्रिय गैर-अनुपालन (Active Non-Compliant)
12	आरसी फ़्लैग: सक्रिय, एनओसी जारी, आरसी निलंबित, जब्त नीलामी वाहन	वैध	वैध	वैध	सक्रिय - अनुपालन (Active - Compliant)

6. कार्यान्वयन रणनीति:

प्रस्तावित वाहन वर्गीकरण ढांचे के कार्यान्वयन में व्यवस्थित आर्काइवल फ़्लैगिंग, डिजिटल डैशबोर्ड में संवर्द्धन, स्पष्ट पुनर्सक्रियन प्रक्रियाएं और सटीक व अद्यतित वाहन डेटा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हितधारकों के लिए परिभाषित जिम्मेदारियां शामिल हैं।

6.1. वाहनों की फ़्लैगिंग

वाहनों को धारा 5 में परिभाषित मानदंडों के अनुसार स्थायी आर्काइव, अस्थायी आर्काइव, सक्रिय गैर-अनुपालन और सक्रिय अनुपालन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्गीकरण प्रक्रिया सिस्टम के भीतर पूरी तरह से स्वचालित होगी, जिससे निरंतरता सुनिश्चित होगी, मैन्युअल त्रुटियों को कम किया जा सकेगा और धारा 7 में उल्लिखित पुनर्सक्रियन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा।

6.2. डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग संवर्द्धन

वाहन की स्थिति श्रेणियों में स्पष्ट दृश्यता सक्षम करने के लिए 'वाहन' (VAHAN) डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग इंटरफेस को अपग्रेड किया जाएगा।
नए फ़िल्टर विकल्प प्रदान किए जाएंगे:

1. स्थायी आर्काइव (Permanent Archive)
2. अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)
3. सक्रिय - गैर-अनुपालन (Active - non-compliant)
4. सक्रिय - अनुपालन (Active - compliant)

कस्टम रिपोर्टिंग क्षमताएं नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और सिस्टम प्रशासकों को लक्षित अंतर्दृष्टि (Insights) उत्पन्न करने में सहायता करेंगी।

6.3. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारियां

अद्यतन वर्गीकरण प्रणाली की प्रभावशीलता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन की स्थिति का नियमित सत्यापन और सत्यापन, यह सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड फिटनेस, पंजीकरण और स्वामित्व पर नवीनतम जानकारी को दर्शाते हैं।
- बैकएंड सिस्टम के समन्वय में फिटनेस समाप्ति, पीयूसीसी समाप्ति, बीमा समाप्ति, स्क्रैप किए गए वाहन, या पुनर्सक्रियन के मामलों में सिस्टम में समय पर अपडेट।
- वाहन मालिकों के साथ आगामी फिटनेस, पीयूसीसी और बीमा समाप्तियों, नवीनीकरण प्रक्रियाओं और निष्क्रियता के परिणामों (जैसे, आर्काइवल स्थिति) के बारे में संचार।
- गैर-अनुपालन या आर्काइव्ड वाहनों की पहचान करने के लिए वर्गीकरण डेटा का लाभ उठाते हुए प्रवर्तन और अनुपालन के लिए समर्थन।
- राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यान्वयन और डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ये जिम्मेदारियां आवश्यक हैं।

7. पुनर्सक्रियन तंत्र (Reactivation Mechanism):

अस्थायी और स्थायी आर्काइव के तहत वर्गीकृत वाहनों को पुनर्सक्रिय करने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल अधिसूचना तंत्र शुरू किया गया है। इस प्रणाली के तहत, वाहन मालिकों को उनके वाहन की आर्काइव्ड स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी अनिवार्य अनुपालनों को पूरा करके अपने वाहनों को सक्रिय (Active) स्थिति में बहाल करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो वाहन स्थायी रूप से आर्काइव्ड हैं, उन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पुनर्सक्रिय किया जा सकता है।

1. अधिसूचना प्रोटोकॉल (Notifications Protocol)

- अस्थायी रूप से आर्काइव्ड (Temporarily Archive) और सक्रिय - गैर-अनुपालन (Active - Non Compliant) के तहत आने वाले वाहनों को 45 दिनों की अवधि के लिए 15-दिन के अंतराल पर डिजिटल सूचनाएं (तीन सूचनाएं) प्राप्त होंगी, जिसके बाद वाहन के वर्गीकरण में बदलाव होने तक मासिक अधिसूचना दी जाएगी।
- यदि वाहनों को उनकी संबंधित श्रेणियों में टैग करने की तारीख से तीन सूचनाओं और 45 दिनों की छूट अवधि (Grace Period) के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसे वाहनों की सूची अधिनियम के अध्याय XIII के तहत कार्रवाई के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी।
- इसके अलावा, सक्रिय-गैर-अनुपालन और अस्थायी आर्काइव श्रेणी के वाहन मालिकों को सक्रिय-अनुपालन (Active-Compliant) बनने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मासिक सूचनाएं भी प्राप्त होंगी।

2. डिजिटल पुनर्सक्रियन (Digital Reactivation)

i. सक्रिय - गैर-अनुपालन (Active - Non - Compliant)

एक बार जब सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और वाहन डेटाबेस वैध बीमा, पीयूसीसी और जहां कहीं भी लागू हो फिटनेस को दर्शाता है, तो वाहन को स्वचालित रूप से **सक्रिय - अनुपालन** (Active - Compliant) के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
यदि वाहन मालिक उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन को नवीनीकृत करने के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इन वाहनों को अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ii. अस्थायी आर्काइव (Temporary Archive)

क. इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत वाहनों को सक्रिय-अनुपालन स्थिति में केवल तभी पुनर्सक्रिय किया जा सकता है जब मालिक 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं और निम्नलिखित दस्तावेज जमा करते हैं:

- वैध बीमा प्रमाणपत्र (Valid Insurance Certificate)
- फिटनेस प्रमाणपत्र (Certificate of Fitness) (परिवहन वाहनों के लिए)
- वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) (यदि लागू हो)

ख. वाहन आरटीओ (RTO) का दौरा किए बिना डिजिटल रूप से केवल अपनी बीमा स्थिति को नवीनीकृत करके अस्थायी आर्काइव से सक्रिय गैर-अनुपालन में स्वचालित रूप से चले जाएंगे, जैसे ही बीमा स्थिति वाहन (Vahan) में दिखाई देने लगेगी, बशर्ते वैध पंजीकरण और वैध फिटनेस हो।

इस श्रेणी से पुनर्सक्रियन के लिए आवेदन करने वाले सभी वाहनों के लिए अनुमोदन डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और इसके लिए संबंधित आरटीओ से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा एनआईसी (NIC) के साथ मिलकर वर्ष के दौरान "अस्थायी आर्काइव" (Temporary Archive) के रूप में फ़्लैग किए गए और "सक्रिय अनुपालन" व "सक्रिय गैर-अनुपालन" में बहाल किए गए वाहनों का एक वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।

यदि वाहन मालिक वाहन को अस्थायी आर्काइव में रखने के कारण को हटाने के लिए दो साल की अवधि तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अस्थायी आर्काइव में मौजूद वाहनों को स्थायी आर्काइव (Permanent Archive) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

3. मैनुअल पुनर्सक्रियन (Manual Reactivation)

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास दस्तावेजों को सत्यापित करने या डेटा त्रुटियों को ठीक करने के बाद मालिक द्वारा डिजिटल रूप से प्रस्तुत वाहन पुनर्सक्रियन अनुरोधों को मैन्युअल रूप से अनुमोदित करने का अधिकार है। यह तंत्र अपवादों को संभालने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं:

- सहायक दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन
- वैध औचित्य के साथ मालिक के अनुरोध
- पूर्व स्थिति फ़्लैग त्रुटियों का सुधार

डेटा सटीकता और पारदर्शिता के लिए संबंधित आरटीओ द्वारा ऐसे अनुमोदनों के एक सप्ताह के भीतर सभी मैनुअल पुनर्सक्रियन अनुमोदनों को 'वाहन' (VAHAN) में डिजिटल रूप से लॉग किया जाना आवश्यक है।

4. स्थायी आर्काइव (Permanent Archive) के तहत वर्गीकृत वाहनों का पुनर्सक्रियन (असाधारण मामले)

स्थायी आर्काइव श्रेणी के तहत वर्गीकृत वाहनों को डिफ़ॉल्ट रूप से निष्क्रिय माना जाता है और वे नियमित या स्वचालित पुनर्सक्रियन के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे वाहनों को प्रवर्तन, योजना और सेवा वितरण के प्रयोजनों के लिए सक्रिय वाहन ब्रह्मांड (Active vehicle universe) से बाहर रखा गया है।

हालांकि, असाधारण परिस्थितियों की संभावना को स्वीकार करते हुए, एक सीमित और कड़ाई से नियंत्रित बहाली (Restoration) तंत्र प्रदान किया गया है, जो विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां स्थायी आर्काइव के तहत वर्गीकरण डेटा/सिस्टम त्रुटियों, न्यायिक या वैधानिक निर्देशों, या लीगेसी डेटा माइग्रेशन समस्याओं के कारण हुआ है।

क. बहाली के लिए अनुमेय आधार (Permissible Grounds for Restoration)

स्थायी आर्काइव से बहाली पर केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत विचार किया जा सकता है:

- गलत आर्काइवल के कारण प्रमाणित डेटा या सिस्टम त्रुटि
- कानून की अदालत या सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश
- प्री-वाहन (pre-VAHAN) डिजिटलीकरण या अंतर-राज्य डेटा माइग्रेशन से उत्पन्न होने वाली लीगेसी डेटा विसंगतियां
- पुनर्सक्रियन के समय लिखित में दर्ज और डिजिटल रूप से लॉग किया गया कोई अन्य न्यायसंगत कारण।

पुष्टि किए गए स्क्रैप किए गए वाहन, कानूनी प्रवर्तन कार्रवाइयों के कारण रद्द किए गए आरसी वाले वाहन, या कानून के अनुसार स्थायी रूप से गैर-पंजीकृत वाहन किसी भी परिस्थिति में बहाली के लिए पात्र नहीं होंगे।

ख. अनुमोदन प्राधिकारी और प्रक्रिया

- स्थायी आर्काइव से बहाली की अनुमति केवल परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) के स्पष्ट अनुमोदन के साथ दी जाएगी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की पूर्व सहमति के साथ अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- संबंधित आरटीओ प्रारंभिक सत्यापन करेगा और सहायक रिकॉर्ड के साथ एक तर्कसंगत सिफारिश प्रस्तुत करेगा।
- सभी अनुमोदनों को डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और 'वाहन' (VAHAN) प्रणाली में दर्ज किया जाएगा।

ग. बहाली वर्कफ़्लो (Restoration Workflow)

- जब परिवहन आयुक्त द्वारा पुनर्सक्रियन को मंजूरी दी जाती है, तो ऐसे अनुमोदनों के कारणों को 'वाहन' में दर्ज किया जाना चाहिए।
- स्थायी आर्काइव से बहाली के लिए अनुमोदित वाहनों को वाहन मालिकों द्वारा फिटनेस, बीमा, पीयूसीसी और कर (Tax) सहित सभी लागू वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने के बाद ही सक्रिय किया जाएगा।

घ. ऑडिट और सुरक्षा उपाय

- सभी बहाली कार्रवाइयां डिजिटल रूप से लॉग की जाएंगी, ऑडिट योग्य होंगी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन होंगी।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा एनआईसी (NIC) के साथ मिलकर वर्ष के दौरान "स्थायी आर्काइव" के रूप में फ़्लैग किए गए और बहाल किए गए वाहनों का एक वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।
- स्थायी आर्काइव से बहाली को एक बार के अपवाद के रूप में माना जाएगा और इससे भविष्य के मामलों के लिए कोई मिसाल या पात्रता नहीं बनेगी।

8. निष्कर्ष:

यह दस्तावेज़ 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस में सक्रिय और आर्काइव्ड वाहनों के प्रबंधन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। अस्थायी आर्काइव्ड वाहनों के पुनर्सक्रियन के लिए श्रेणीबद्ध अनुमोदन तंत्र की शुरुआत करके, 'वाहन' डेटाबेस पर वाहन वर्गीकरण डेटा की सत्यनिष्ठा, प्रवर्तन दक्षता और शासन प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

अनुलग्नक-II

"वाहनों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन" के संबंध में डॉ. संबित पात्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3089 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वाहन वर्गीकरण ढांचे के अनुसार 24.07.2026 तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वाहनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	सक्रिय अनुपालन	सक्रिय गैर-अनुपालन	कुल सक्रिय वाहन
1	उत्तर प्रदेश	94,10,340	1,92,25,957	2,86,36,297
2	महाराष्ट्र	1,11,76,482	1,42,03,401	2,53,79,883
3	तमिलनाडु	46,95,129	1,51,70,841	1,98,65,970
4	कर्नाटक	43,70,187	1,45,07,778	1,88,77,965
5	गुजरात	76,51,972	93,91,649	1,70,43,621
6	मध्य प्रदेश	27,41,146	98,41,706	1,25,82,852
7	राजस्थान	45,46,118	88,08,465	1,33,54,583
8	केरल	77,81,941	61,91,241	1,39,73,182
9	आंध्र प्रदेश	24,15,605	81,03,593	1,05,19,198
10	पश्चिम बंगाल	61,91,675	47,64,506	1,09,56,181
11	दिल्ली	46,61,037	24,69,022	71,30,059
12	बिहार	34,10,918	64,99,814	99,10,732
13	तेलंगाना	15,28,872	74,14,147	89,43,019
14	पंजाब	29,19,044	42,52,042	71,71,086
15	हरियाणा	48,80,987	38,26,795	87,07,782
16	ओडिशा	33,04,375	35,67,703	68,72,078
17	छत्तीसगढ	14,96,671	37,49,488	52,46,159
18	झारखंड	17,89,585	31,96,698	49,86,283
19	असम	21,14,901	29,15,904	50,30,805
20	उत्तराखंड	11,59,434	14,40,787	26,00,221
21	जम्मू और कश्मीर	9,71,828	9,79,102	19,50,930
22	हिमाचल प्रदेश	8,29,259	8,97,440	17,26,699
23	पुदुचेरी	1,53,018	5,21,215	6,74,233
24	गोवा	5,82,389	4,76,184	10,58,573
25	चंडीगढ़	3,78,500	2,66,939	6,45,439
26	त्रिपुरा	3,22,841	2,68,754	5,91,595
27	मणिपुर	50,308	1,88,058	2,38,366
28	मेघालय	1,53,566	2,28,232	3,81,798
29	नागालैंड	1,35,956	1,08,654	2,44,610

30	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,13,815	1,00,301	2,14,116
31	मिजोरम	1,31,621	1,52,081	2,83,702
32	अरुणाचल प्रदेश	73,011	1,98,721	2,71,732
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	67,717	51,342	1,19,059
34	सिक्किम	94,771	21,116	1,15,887
35	लद्दाख	9,306	31,026	40,332
36	लक्षद्वीप	1,395	12,469	13,864
	कुल	9,23,15,720	15,40,43,171	24,63,58,891
